राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या –8363/2020

1. रामू उर्फ रामविलास पुत्र रामनाथ निवासी बिहारी का पुरा कुंआखेड़ा, थाना सदर बाडी, जिला धौलपुर, राजस्थान ।
2. भाग सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी नयापुरा थाना मासलपुर, जिला करौली
3. सोनू पुत्र रमेश निवासी अमोलपुरा धीमरी थाना बाडी सदर जिला धौलपुर ।

––प्रार्थी/अभियुक्त

–: बनाम :–

राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक –––अप्रार्थी

आदेश दिनांकः– **31.07.2020**

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थितः–
श्री अनिल जैन, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त
श्री एन.एस.गुर्जर , विद्वान लोक अभियोजक ।

न्यायालय द्वारा :–

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रामू उर्फ रामविलास, भाग सिंह व सोनू द्वारा यह जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता उन्हें पुलिस थाना सदर बाडी जिला धौलपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 151/2020, अपराध अन्तर्गत धारा 353,307,379 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 29 व 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, धारा 41 व 42 राजस्थान वन अधिनियम व धारा 3/25 व 3/27 आयुद्ध अधिनियम में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई ।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क है कि प्रार्थीगण लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में हैं, मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। उनका यह भी तर्क है कि मामले में किसी को भी कोई चोट कारित नहीं हुई है, प्रार्थीगण की

अनुसंधान हेतु कोई आवश्यकता नहीं है, प्रार्थीगण के विरूद्ध अन्य कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है, अतः प्रार्थीगण को जमानत पर छोड़ा जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया ।

दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा रखे गए तर्को व प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करने के बाद प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थीगण को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000–25,000/– रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रामू उर्फ रामविलास, भागसिंह व सोनू को (यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हो तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे ।

(न्या0 प्रकाश गुप्ता)

ऋषिकेश सोनी/142